

06.09.2021

यतावली मेश हुई। यतावली का यरिदण  
किया। बाद मरीदण जाहिर आया कि  
अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी  
का स्थानांतरण हो गया है जिससे पूर्व में  
उत्पन्न वाद कारण ही समाप्त हो गया  
है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना  
यत्न अंतर्गत धारा 235 RTA, 1955 बाबत  
प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानांतरण हेतु  
का अस्वीकार किया जाता है। न्यायालय  
तहसीलदार आसीन्द के प्रकरण संख्या 01/2019  
उनका गीता देवी बनाम शमशू देवी में  
सुनवायी हेतु वर्तमान में मदस्थामित पीठासीन  
अधिकारी को निर्देशित / आदेशित किया  
जाता है। प्रकरण नंबर से कम हो।

जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा